

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प. 5(43)नविवि / 2024 –08585

जयपुर, दिनांक: यथा हस्ताक्षरित

—:आदेश:—

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर के क्षेत्र में वृद्धि होने से उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर के अन्तर्गत चार जोन कार्यालय रखे जाने तथा विभिन्न प्रकोष्ठों/जोन कार्यालयों में वर्तमान में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त निम्न नवीन पदों के सृजन की सहमति रेप्सार एक्ट के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	पदनाम	वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या	नवीन सृजन हेतु सहमत पद	कुल योग
1	2	3	4	5
A प्रशासनिक पद				
1	आयुक्त IAS	1	0	1
2	सचिव RAS	1	0	1
3	भूमि अवाप्ति अधिकारी RAS	1	0	1
4	उपायुक्त RAS	2	2	4
	योग (A)	5	2	7
B अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ				
5	निदेशक अभियांत्रिकी (CE)	1	0	1
6	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सिविल)	0	1	1
7	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	1	1	2
8	अधिशायी अभियन्ता (सिविल)	4	2	6
9	अधिशायी अभियन्ता (विद्युत)	1	1	2
10	अधिशायी अभियन्ता (जल-सिविल)	1	0	1
11	सहायक अभियन्ता (सिविल)	10	8	18
12	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	1	1	2
13	सहायक अभियन्ता (जल-सिविल)	1	0	1
14	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	16	8	24
15	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	4	2	6
16	कनिष्ठ अभियन्ता (जल-सिविल)	1	1	2
	योग (B)	41	25	66
C लेखा प्रकोष्ठ				
17	निदेशक वित्त CAO/FA	1	0	1
18	वरिष्ठ लेखाधिकारी	0	1	1
19	लेखाधिकारी	1	1	2
20	सहायक लेखाधिकारी-I	1	3	4

21	सहायक लेखाधिकारी-II	3	1	4
22	कनिष्ठ लेखाकार	7	1	8
	योग (C)	13	7	20
D विधि प्रकोष्ठ				
23	निदेशक विधि (Jt.LR)	1	0	1
24	उप विधि परामर्शी	1	0	1
25	सहायक विधि परामर्शी	0	4	4
26	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	2
27	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	3	4
	योग (D)	4	8	12
E नगर नियोजक प्रकोष्ठ				
28	निदेशक (ACTP)	1	0	1
29	वरिष्ठ नगर नियोजक	0	1	1
30	उप नगर नियोजक	1	1	2
31	सहायक नगर नियोजक	2	2	4
32	नगर नियोजक सहायक	0	4	4
33	वरिष्ठ प्रारूपकार	3	0	3
34	कनिष्ठ प्रारूपकार	4	0	4
	योग (E)	11	8	19
F प्रवर्तन प्रकोष्ठ				
35	अति. पुलिस अधीक्षक	1	-1	0
36	उप अधीक्षक पुलिस	0	1	1
37	पुलिस निरीक्षक	1	0	1
38	उप निरीक्षक / सहा. पुलिस निरीक्षक	1	0	1
39	कानिस्टेबल	4	4	8
	योग (F)	7	4	11
G तहसील शाखा				
40	तहसीलदार	2	2	4
41	नायब तहसीलदार	0	2	2
42	भू-अभि. निरीक्षक	2	6	8
43	पटवारी	6	2	8
	योग (G)	10	12	22
H निजी सचिव एवं मंत्रालयिक कार्मिक				
44	वरिष्ठ निजी सचिव	1	0	1
45	निजी सचिव	1	0	1
46	अतिरिक्त निजी सचिव	2	0	2

47	निजी सहायक—प्रथम	4	0	4
48	निजी सहायक—द्वितीय	8	0	8
49	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
50	अति. प्रशासनिक अधिकारी	3	0	3
51	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	3	1	4
52	वरिष्ठ सहायक	8	4	12
53	कनिष्ठ सहायक	19	6	25
54	चालक	6	5	11
55	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	9	22
	योग (H)	69	25	94
I कम्प्यूटर अनुभाग				
56	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	0	1
57	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	2	1	3
58	सूचना सहायक	3	3	6
	योग (I)	6	4	10
J उद्यान अनुभाग				
59	क्षेत्रीय वन अधिकारी	0	1	1
60	उद्यान अधीक्षक	1	0	1
61	उद्यान निरीक्षक	2	0	2
62	सहायक उद्यान निरीक्षक	3	0	3
	योग (J)	6	1	7
	कुल महायोग (A to J)	172	96	268

उपरोक्त विवरण के आधार पर वर्तमान में स्वीकृत एवं नवीन सृजित पदों का प्रकोष्ठ अनुसार विवरण निम्नवत है:-

क्र.स.	प्रकोष्ठ	विभाग द्वारा अवगत कराये अनुसार वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या	नवीन सृजन हेतु सहमत पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या
1	प्रशासनिक प्रकोष्ठ	5	2	7
2	अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ	41	25	66
3	नगर नियोजन प्रकोष्ठ	11	8	19
4	तहसील प्रकोष्ठ	10	12	22
5	लेखा प्रकोष्ठ	13	7	20
6	विधि प्रकोष्ठ	4	8	12
7	उद्यान प्रकोष्ठ	6	1	7
8	प्रवर्तन प्रकोष्ठ	7	4	11
9	आईटी प्रकोष्ठ	6	4	10

10	निजी सचिव एवं मंत्रालयिक कार्मिक	69	25	94
	योग	172	96	268

शर्त :-

1. उदयपुर विकास प्राधिकरण में (A प्रशासनिक पद) कॉलम संख्या 04 में उपायुक्त (RAS) के सृजित 02 नवीन पद कार्मिक विभाग की स्वीकृति/अनुमति के उपरान्त प्रभावशील होंगे।
2. उदयपुर विकास प्राधिकरण में नवीन स्वीकृत पद नियमों में निर्धारित योग्यता, सेवा शर्तों एवं पे-लेवल के अनुसार सृजित किये जायेंगे।
3. उदयपुर विकास प्राधिकरण के लेखा प्रकोष्ठ हेतु कॉलम संख्या 04 में वर्णित नव सृजित पदों पर नियुक्तियां वित्त विभाग/निदेशालय कोष एवं लेखा द्वारा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जायेगी।
4. उदयपुर विकास प्राधिकरण के विधि प्रकोष्ठ हेतु कॉलम संख्या 04 में वर्णित नव सृजित पदों पर नियुक्तियां विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जायेगी।
5. उदयपुर विकास प्राधिकरण के नगर नियोजन प्रकोष्ठ हेतु कॉलम संख्या 04 में वर्णित नव सृजित पदों को नगर नियोजन सेवा की कैडर स्ट्रेन्थ में सम्मिलित कर नगर नियोजन सेवा के सेवा नियम अनुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।
6. उदयपुर विकास प्राधिकरण में अभियांत्रिकी संवर्ग के नवीन सृजित किये जाने वाले पदों को नगरीय विकास विभाग के अन्तर्गत अभियांत्रिकी संवर्ग के पुनर्गठन में सम्मिलित कर लिये गये हैं। अतः अभियांत्रिकी संवर्ग के नवीन पदों का सृजन पृथक से नहीं किया जावेगा।
7. उदयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन प्रकोष्ठ हेतु कॉलम संख्या 04 में वर्णित नव सृजित पदों पर नियुक्तियां पुलिस विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जायेगी।
8. उदयपुर विकास प्राधिकरण के तहसील शाखा हेतु कॉलम संख्या 04 में वर्णित नव सृजित पदों पर नियुक्तियां राजस्व विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जायेगी।
9. उदयपुर विकास प्राधिकरण के कम्प्यूटर अनुभाग हेतु कॉलम संख्या 04 में वर्णित नव सृजित पदों पर नियुक्तियां सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जायेगी।
10. उदयपुर विकास प्राधिकरण में सृजित नवीन पदों का वित्तीय भार प्राधिकरण द्वारा स्वयं के वित्तीय स्रोतों से वहन किया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता/अनुदान राशि प्रदान नहीं की जावेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. संख्या 172501371 दिनांक 21.08.2025 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश कुमार-I)

शासन उप सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग को आई.डी. संख्या 172501371 दिनांक 21.08.2025 के क्रम में।
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. आयुक्त/सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
14. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगर नियोजन प्रकोष्ठ में नव सृजित पदों को नगर नियोजन सेवा की कैडर स्ट्रेन्थ में शामिल कर आवश्यक आदेश जारी कराया जाना सुनिश्चित करें।
15. प्रोगामर, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-तृतीय